



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 29.10.2022

मारपीट करने वाले आरोपियों अब्दुल, हारुण, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, रफीक, ताहिर व अजीज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कारावास व 1500 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्तों अब्दुल, हारुण, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, रफीक, ताहिर व अजीज निवासी गण ग्राम आर्दश नगला थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2001 में वादी के घर में घुसकर मारपीट की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 29/2001 धारा 147/323/504/506/452/427 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.10.2022 को मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा अभियुक्तों अब्दुल, हारुण, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, रफीक, ताहिर व अजीज को दोषी पाते हुए धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास, धारा 504 भादवि में 06 माह का कारावास, धारा 506 भादवि में 06 माह का कारावास, धारा 452 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 427 भादवि में 01 वर्ष के कारावास व 500 रुपये का अर्थदण्ड व धारा 147 भादवि में 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1-अब्दुल पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम आर्दश नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-हारुण पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम आर्दश नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-अब्दुल रहमान पुत्र वसीर निवासी ग्राम आर्दश नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।

- 4-अब्दुल रहीम पुत्र वसीर निवासी ग्राम आर्दश नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
5-ताहिर पुत्र रफीक निवासी ग्राम आर्दश नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
6-अजीज पुत्र रफीक निवासी ग्राम आर्दश नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
7-रफीक पुत्र हकीमुद्दीन निवासी ग्राम आर्दश नगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29.10.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना सिंघावली अहीर के मु0अ0स0 387/22 धारा 392/420/411 भादवि में वांछित एक शातिर लुटेरा/हिस्ट्रीशीटर को बाद पुलिस मुठभेड घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस व थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र से लूटा गया एक मोबाइल फोन बरामद ।

सांक्षिप्त विवरण/कार्यवाही –

दिनांक 27.10.2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी नाजिम पुत्र शकील निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि वह चौपडा महेशपुर जा रहा था तभी रास्ते में 03 अज्ञात बदमाशों ने उसकी स्प्लेन्डर मोटरसाईकिल न0 UP 15DS 4092 व



उसका मोबाइल फोन लूट लिया है । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0स0 387/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया । दिनांक 28.10.2022 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने घटना से संबंधित एक अभियुक्त रितिक पुत्र संजीव निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत को लूटी गयी स्प्लेन्डर मो0सा0 व घटना

में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट की बुलेट मो0सा0 बरामद कर जंगल ग्राम गाधी कलेसर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत से गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछने पर बताया कि लूटा गया मोबाइल इदरीश तीसरे साथी विकाश के साथ मौके से लेकर भाग गया है। भागे हुये अभियुक्तों की कॉम्बिंग हेतु सूचना कन्ट्रोल रूम बागपत को दी गयी सूचना पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान चला कर त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम गाधी व निरोजपुर के जंगल से शातिर लूटेरे इदरीश पुत्र यामीन को बाद पुलिस मुठभेड घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर व एक खोका व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र में दिनांक 27.10.2022 को नाजिम पुत्र शकील अहमद निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत से लूटा गया एक मोबाइल फोन सैमसंग बरामद हुआ है। विकास पुत्र सुशील निवासी ग्राम बसौली थाना रमाला जनपद बागपत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीश के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर हिस्ट्रीशीट नं0 1160/A दर्ज है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- अभियुक्त इदरीश की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय द्वारा थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम को 25 हजार रुपये की धनराशि से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- इदरीश पुत्र यामीन नि0 ग्राम मेवला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।
- 1 लूटा हुआ एक मोबाइल फोन सैमसंग। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 387/22 धारा 392/420/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर)

गिरफ्तार अभि0 इदरीश पुत्र यामीन का आपराधिक इतिहास(हिस्ट्रीशीट नं0-1160/A)

1-मु0अ0स0 636/16 धारा 386 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0स0 876/16 धारा 394 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।

3-मु0अ0स0 886/16 धारा 379 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।

- 4-मु0अ0स0 1092/16 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0स0 893/21 धारा 392.411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0स0 234/16 धारा 392.506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0स0 292/16 धारा 392 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0स0 314/16 धारा 302.34.394.411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0स0 328/16 धारा 307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0स0 329/16 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 387/22 धारा 392/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 12-मु0अ0सं0 1012/22 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 13-मु0अ0सं0 1013/22 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री ओम सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-का0 698 विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-का0 647 प्रवीण भाटी थाना कोतवाली बागपत ।
- 6-का0 981 अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 7- का0 511 धर्मेन्द्र थाना कोतवाली बागपत ।
- 8- का0 025 राजीव चौधरी थाना कोतवाली बागपत ।
- 9- का0 461 रोहित भाटी थाना कोतवाली बागपत ।
- 10- का0 379 अखिलेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 28-10-2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने 02 गुमशुदा बच्चों को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाना दोघट क्षेत्र के ग्राम नांगल भगवानपुर के रहने वाले 02 गुमशुदा बच्चो को अल्प समय में सकुशल बरामद करके परिवारजनों को सुपुर्द किया ।



परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद बच्चो के नाम व पता-

- 1- अभय पुत्र रवि नि0 नांगल भगवानपुर थाना दोघट जिला बागपत
- 2- आरव पुत्र रवि नि0 नांगल भगवानपुर थाना दोघट जिला बागपत

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री मदनपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना रमाला ।
- 2-श्री सोनवीर सिंह सोलंकी व0उ0नि0 थाना रमाला।
- 3- श्री विश्वेशर दयाल शर्मा उ0नि0 थाना रमाला।
- 4- का0 879 अमरेश कुमार थाना रमाला।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक- 29-10-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1048/22 धारा 380/511 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 29-10-2022 को थाना बडौत पर वादी श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओमबीर निवासी शताब्दीनगर कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्त वसीम पुत्र इस्लाम निवासी छपरौली चुंगी किदवईनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को उसके



द्वारा उसके निर्माणाधीन मकान में चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। वादी धर्मेन्द्र द्वारा अभियुक्त को थाना बड़ौत पर लाया गया। थाना बड़ौत पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 1048/22 धारा 380/511 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-वसीम पुत्र इस्लाम निवासी छपरौली चुंगी किदवई नगर करबा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 932 रविन्द्र कुमार थाना बड़ौत।

2-का0 289 सुधीर पंवार थाना बड़ौत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29-10-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम पता-

1-राहलु पुत्र शिवकुमार निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 981 अंकित कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

